फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :–**श्री कजोडीमल** विपक्षी :–**श्री गोपाल**

किस्म मुकदमा :– 212 रा.का.अधिनियम पत्रावली संख्या :– **29 / 22**

जीसीएमएस नम्बर :–2022 / 87

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 08.05.2026 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 4/1, 4/4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 4/2, 4/3 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस टी. आई. सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 3 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस टी. आई. पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 720 पर दर्ज आराजी नम्बर 1722, 1731, 1732, 1742, 2288 किता 5 कुल रकबा 2.7680 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 719 पर दर्ज आराजी नम्बर 1616, 1617, 1618, 1619 किता 4 कुल रकबा 0.5585 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। प्रकरण के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज होकर उभय पक्षकारान खातेदार काश्तकार हैं। प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य पूर्वजो के समय से मौके पर बंटवाडा कर मौके पर अलग–अलग काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है परन्तु भूमि का राजस्व रेकार्ड में बंटवाडा नहीं होने से प्रार्थी बंटवाडा करवाने का अधिकारी हैं। प्रार्थी अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद करवाना चाह रहा हैं परन्तु वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण के नाम संयुक्त रूप से हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने से यदि विपक्षीगण को रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है तो इससे मृतक खातेदार के विरासत का नामान्तरकरण पारित नहीं हो पायेगा तथा विपक्षीगण को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा। वादग्रस्त भूमि के उभय पक्षकारान खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू उभय पक्षकारान के पक्ष में साबित होते हैं क्योंकि खातेदार को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। उभय पक्षकारान खातेदार होने से यदि किसी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे उसके हक अधिकारों	

पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। परन्तु मूल वाद बंटवाडे का होने से यदि उभय पक्षकारान को मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है एवं उभय पक्षकारान वादग्रस्त भूमि के विशेष भू भाग पर निर्माण कर मौके की स्थिति परिवर्तन कर देते है तो इससे उभय पक्षकारान को ही अपूरणीय क्षति होगी एवं उभय पक्षकारान को काफी कठिनाई का सामना करना पडेगा। चूंकि सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। इसलिए उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक नया निर्माण कार्य नहीं करने बाबत् पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। शेष अन्य बिन्दू मूल वाद में साक्ष्य सबूत गवाह आदि के आधार पर तय किये जावेगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: <u>आदेश</u> :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 की खाता संख्या 720 पर दर्ज आराजी नम्बर 1722, 1731, 1732, 1742, 2288 किता 5 कुल रकबा 2.7680 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 719 पर दर्ज आराजी नम्बर 1616, 1617, 1618, 1619 किता 4 कुल रकबा 0.5585 हेक्टेयर भूमि में उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण तक किसी प्रकार का गैर कृषि कार्य नहीं करें। नया निर्माण कार्य नहीं करें। कृषि कार्य करने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली